<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2016 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

RCMS NO : 2016/00030

अनवान

1. श्री भंवर लाल पिता श्री धुल जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
2. श्री तुलसीराम पिता श्री धुल जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
3. श्री केशवलाल पिता श्री धुल जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
4. श्रीमती मणी बाई बेवा नारायण जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
5. श्री दिनेश पिता नारायण जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
6. श्री कान्तिलाल पिता नारायण जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
7. श्री प्रकाश पिता नारायण जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
8. श्री जगदीश पिता नारायण जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती पार्वती बाई पत्नी श्री देवीलाल जी डांगी, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेमारी, जिला उदयपुर

—विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री आलोक कुमार जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री रमेश नंदवाना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

<u>प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने</u>

**** <u>निर्णय</u> ****

दिनांक 11-11-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा सुरखण्ड का खेडा, तहसील सेमारी की साबिक आराजी संख्या 796/1 में रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि जिसके

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.12 17:30:50 IST
Reason: SelfAttested

हाल आराजी नंबर 2094 रकबा 0.0900 हेक्टेयर व आराजी नंबर 2096 रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के पिता धुलजी व नारायण जी एवं अन्य सहखातेदार जो कि जमाबन्दी सवत् 2029–2032 मे दर्ज है के नाम थी। सेटलमेन्ट के बाद सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा तथाकथित भूमि के हाल आराजी नबंर 2094 व 2096 को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया। उक्त भूमि पर प्रार्थीगणों के पिता व उनके फोत होने के पश्चात् प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रार्थीगणों की खातेदारी की भूमि है, परन्तु राजस्व रेकर्ड के बिलानाम दर्ज हो जाने से विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के हाल आराजी नबंर 2094 रकबा 0.0900 हेक्टेयर भूमि पटवार हल्का से मिलीभगत कर सन् 2002 मे भूमि स्वयं के नाम आवंटित करवा ली। इस संबंध में कभी कोई उद्‌घोषणा पत्र जारी नही हुआ, न ही उद्‌घोषणा पत्र की तामिल धारा 61, राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत की गई। आवंटन मे आवंटन नियम 4 व 5 की पालना नही की गई, न ही ओक्यूपाईड व अनओक्यूपाईड भूमि की कोई सूची तैयार की गई। उक्त भूमि को भारी लागत लगा कर प्रार्थीगण द्वारा आबादान किया गया है एवं सेटलमेन्ट विभाग की गलती से भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हुई है। वक्त आवंटन कोरम अपूर्ण था एवं आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा नही की गई है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किया गया आवंटन धोखे एवं मिसरिप्रजेन्टेशन से होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य होने से उक्त आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री रमेश नंदवाना अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब पेश किया कि राजस्व ग्राम सुरखण्ड का खेड़ा की हाल आराजी संख्या 2094 रकबा 0.0900 हेक्टेयर कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की गई है। वक्त आवंटन भूमि बिलानाम सरकार दर्ज थी एवं भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा काश्त होने से नियमानुसार भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को हुआ है एवं आवंटन के पश्चात आवंटन शर्तो की पालना करने से विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। उक्त आवंटन से पूर्व नियमानुसार ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार की गई एवं नियमानुसार उद्‌घोषणा पत्र जारी किया गया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किये जाने की अनुशंषा की गई है। यदि प्रार्थीगण की कोई भूमि बिलानाम दर्ज हो गई तो उसके लिए प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय मे चाराचोही करनी चाहिये थी। विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि पर वह काबिज हो निरन्तर काश्त करते चले आ रही है एवं आवंटन शर्तो की पूर्णतया पालना करने के फलस्वरूप ही विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्त का उक्त प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के लगभग 12 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है जो सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार सेमारी, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.12 17:30:50 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सेमारी, जिला उदयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 283 दिनांक 14.06.2016 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा सुरखण्ड का खेडा की विवादित हाल आराजी संख्या 2093 रकबा 0.0400, 2094 रकबा 0.0900 हेक्टेयर एवं 6027/2084 रकबा 0.0700 कुल किता 3 रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी संख्या 1 श्रीमती पार्वती देवी पत्नि देवी लाल डांगी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। वर्तमान मे आराजी संख्या 6027/2084 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, 2094 रकबा 0.0900 हेक्टेयर मे से 0.0600 हेक्टेयर कुल 0.01300 हेक्टेयर भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा होकर एक पक्का मकान बना हुआ है। आराजी संख्या 2094 का शेष रकबा 0.0300 हेक्टेयर एवं 2093 रकबा 0.0400 हेक्टेयर कुल किता 0.0700 हेक्टेयर भूमि पर मोड़ा पिता पेमजी डांगी का कब्जा काश्त है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 301/2002 तलब की जाकर मामले में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस मे भाग लेते हुये अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं साबिक आराजी संख्या 796/1 प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी मे सवत् 2029–2032 मे होना, सेटलमेन्ट के बाद श्री महादेव जी चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज होना, सवत् 2042 मे बिलानाम दर्ज होना एवं वर्ष 2001 मे प्रशासन गांवो के संग अभियान मे विपक्षी संख्या 1 को नियम विरूद्ध आवंटित होना, आवंटन के पूर्व विधिवत उद्घोषणा जारी न होना, आवंटन मे नियम 4 व 5 की पालना न होना एवं वर्ष 2005 मे विधि विरूद्ध खातेदारी अधिकार दिया जाना, वर्तमान मे मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना अवगत कराया एवं विधि विरूद्ध किये गये ऐसे आवंटन को निरस्त करने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रश्नगत भूमि मंदिर की खातेदारी मे दर्ज थी एवं यह भूमि मंदिर माफी भूमि थी एवं देवता शाश्वत नाबालिग हो काश्त करने मे असमर्थ है एवं ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार अन्य किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किये जा सकते है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कियेः–

- आर.आर.टी. 2012(1) पृष्ठ 410
- आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ 9

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुये अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यो पर आधारित होना, विधिवत बिलानाम भूमि का सदभावी काश्तकार होने से विपक्षी संख्या 1 को आंवटित होना, आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होना, मौका रिपोर्ट मे विपक्षी संख्या 1 का कब्जा होना, तहसीलदार सेमारी द्वारा जारी मौका रिपोर्ट पर स्वयं प्रार्थीगण/उनके परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर होना, विपक्षी संख्या 1 का रेकर्डेड खातेदार होना, आवंटन मे पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाया जाना अवगत कराया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी पर आवंटन शर्तो की पूर्णतया पालना करने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.12 17:30:50 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस न्यायालय में आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टांतों आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से प्राप्त आवंटन पत्रावली संख्या 301/2002 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रशासन गांवो के संग अभियान मे विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौजा सुरखण्ड़ का खेडा की साबिक आराजी संख्या 2084 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, 2093 रकबा 0.0400 हेक्टेयर एवं 2094 रकबा 0.0900 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.2000 हेक्टेयर के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के नाम कथित आवंटन किया गया है। पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे भूमि विवादग्रस्त न होना, उद्घोषणा मे होने का उल्लेख किया हैं। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, प्रधान, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर उपलब्ध है। आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 का भूमिहीन काश्तकार न होने का उल्लेख किया है, किन्तु वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 के पास आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि उपलब्ध हो अथवा आवंटन नियमानुसार आवंटी भूमिहीन की परिभाषा में न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। मौके पर भी तहसीलदार सेमारी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि पर रेकर्डेड खातेदार है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् 14 (4) की कार्यवाही की जाना न्याय संगत प्रतीत नही होती है। आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो या कोई तथ्य विपक्षी संख्या 1 द्वारा छुपाये गये हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक भूमि का सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के खातेदारी मे होने, भूमि श्री महादेव चारभुजा जी स्थान देह के नाम होने एवं सेटलमेंट के दौरान बिलानाम होने का उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा किया गया है। इस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 सक्षम न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सराड़ा मे विचाराधीन हैं एवं उक्त बिंदु को उक्त न्यायालय द्वारा ही तय किया जाना है एवं प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि अथवा मंदिर माफी की भूमि किस प्रकार बिलानाम हुई है, इस संबध मे अग्रिम निर्णय सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराड़ा द्वारा ही तय किया जायेगा। यदि सक्षम न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सराड़ा द्वारा उक्त वाद स्वीकार कर लिया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन स्वतः ही खारिज हो जाएगा एवं यदि उक्त वाद सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो आवंटन स्वतः ही यथावत हो जाएगा।

इस न्यायालय द्वारा मात्र आवंटन प्रक्रिया मे कोई त्रुटि हुई हो या कोई मिसरिप्रजेन्टेशन या गलत तरीके से आवंटन किया गया हो, इस बिन्दु को ही तय किया जाना हैं। वक्त आवंटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.12 17:30:50 IST
Reason: SelfAttested

भूमि बिलानाम सरकार दर्ज थी एवं भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होने से नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 को आवंटित हुई है। समग्र विवेचन उपरान्त आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन होना प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित नहीं होता हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा नहीं होते हैं। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा सुरखण्ड़ का खेडा, तहसील सेमारी की साबिक आराजी संख्या 2084 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, 2093 रकबा 0.0400 हेक्टेयर एवं 2094 रकबा 0.0900 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.2000 भूमि पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा मिसल संख्या 301/2002 से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। उभय पक्षकार न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सराड़ा मे विचाराधीन वाद संख्या 10/2016 मे पारित होने वाले निर्णय से पूर्णतया बाध्य रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.12 17:30:50 IST
Reason: SelfAttested